मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल
Website: www.apexbank.in Tel No. 0755-2674712

कमांक / मप्र(मुख्या) / 3 / का.प्रशा / प्रसं / 1974 **भोपाल, दिनांक 15 / 11 / 2022**

शीर्ष बैक में अधिकारियों एवं शीर्ष बैंक के प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य के लिए प्रतिनियुक्ति / संविदा पर सेवाएं लेने हेतु

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्या. (अपेक्स बैंक) मध्यप्रदेश की सहकारी क्षेत्र की अग्रणी शीर्ष बैक है । मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति / संविदा पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करती है :–

क्रं.	पदनाम
1	**महाप्रबंधक**
2	**उप महाप्रबंधक**
3	**सहायक महाप्रबंधक**

1– प्रतिनियुक्ति / संविदा हेतु आवेदन करने की **अंतिम तिथी 30.11.2022 है ।** तत्पश्चात डाक अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगें ।

2– आवेदन हेतु प्रतिनियुक्ति / संविदा नियम / शर्तें की पूर्ति करना आवश्यक है, विस्तृत विवरण बैक की वेबसाईट **Website: www.apexbank.in पर उपलब्ध है ।**

प्रभारी प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल

Website: www.apexbank.in Tel No. 0755-2674712

क्रमांक/मप्र(मुख्या)/3/का.प्रशा/प्रसं/ 1975   भोपाल, दिनांक 15/ 11/2022

शीर्ष बैक में अधिकारियों एवं शीर्ष बैंक के प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य के लिए प्रतिनियुक्ति/संविदा पर सेवाएं लेने हेतु

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्या. (अपेक्स बैंक) मध्यप्रदेश की सहकारी क्षेत्र की अग्रणी शीर्ष बैक है । मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करती है :–

क्र.	पदनाम
1	प्रबंधक (विधि/आई.टी./वित्त(लेखा)/सिविल/कृषि/मार्केटिंग)
2	उप प्रबंधक (लेखा (आडिट)/आई.टी./कृषि/विधि/सिविल/इलेक्ट्रिकल /मार्केटिंग

1– प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु आवेदन करने की **अंतिम तिथी 30.11.2022 है ।** तत्पश्चात डाक अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगें ।

2– आवेदन हेतु प्रतिनियुक्ति/संविदा नियम/शर्तें की पूर्ति करना आवश्यक है, विस्तृत विवरण बैक की वेबसाईट **Website: www.apexbank.in पर उपलब्ध है ।**

प्रभारी प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल
Website: www.apexbank.in Tel No. 0755-2674712

शीर्ष बैक में अधिकारियों के पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते

1— आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्या0 मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित किया जावेगा ।

2— प्रतिनियुक्ति/संविदा के नीति–नियम अनुसार चयन कार्यवाही की जावेगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा के नीति–नियम बैक की वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

2— प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु, आवेदित पद की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव सहित अन्य विवरण बैक वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

3— आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता/अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाना होगा ।

3— प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु आवेदक को अपना आवेदन संस्था प्रमुख के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अग्रेषित कर प्रस्तुत किया जाना होगा ।

4— प्रतिनियुक्त/संविदा पद पर चयन, प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव पर चयन समिति के निर्णय अनुसार किया जावेगा ।

5— प्रतिनियुक्ति/संविदा पर प्रथमतः एक वर्ष हेतु सेवाएं प्राप्त की जावेगी, कार्य के संतोषजनक एवं बैक की कार्य आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जावेगी, जो अधिकतम तीन वर्ष तक रहेंगी ।

6— प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु पदों की सख्या के निर्धारण का अधिकार प्रबंध संचालक को रहेगा।

7— प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु प्राप्त आवेदनों को स्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक होगा ।

———

<u>मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्या0 मुख्यालय, भोपाल</u>

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,

मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल

<u>Website: www.apexbank.in Tel No. 0755-2674712</u>

<u>शीर्ष बैक में अधिकारियों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु पदों की निर्धारित योग्यता</u>

कं.	पदनाम	निर्धारित योग्यता
1	**<u>वरिष्ठ प्रबंधन–1</u>** **महाप्रबंधक**	प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा, आरबीआई /नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी, अथवा मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी जिसे न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव हो/अर्द्धशासकीय संस्थाओ के अधिकारी, जिन्हें 15 वर्ष का अनुभव हो ।
2	**<u>वरिष्ठ प्रबंधन–1</u>** **उप महाप्रबंधक**	प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा, आरबीआई /नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी, अथवा मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी जिसे न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव हो/अर्द्धशासकीय संस्थाओ के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का अनुभव हो ।
3	**<u>वरिष्ठ प्रबंधन–2</u>** **सहायक महाप्रबंधक**	प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा, आरबीआई/नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी, अथवा मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी जिसे न्यूनतम 09 वर्ष का अनुभव हो/अर्द्धशासकीय संस्थाओ के अधिकारी, जिन्हें 09 वर्ष का अनुभव हो ।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल

Website: www.apexbank.in Tel No. 0755-2674712

शीर्ष बैक में अधिकारियों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु पदों की निर्धारित योग्यता

क्रं.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	
1	मध्यम प्रबंधन–1		
	प्रबंधक (विधि)	प्रतिनियुक्ति / संविदा द्वारा, आरबीआई / नाबार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी, अथवा मध्यप्रदेश शासन के द्वितीय श्रेणी अधिकारी जिसे न्यूनतम 06 वर्ष का अनुभव हो / अर्द्धशासकीय संस्थाओ के अधिकारी, जिन्हें 06 वर्ष का अनुभव हो ।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय एल.एल.बी. डिग्री ।
	प्रबंधक (आई.टी)		बीई / बीटेक (कम्प्यूटर साइंस / कम्पयूटर एप्लीकेशन या एमसीए. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	प्रबंधक (वित्त / लेखा)		सी.ए. / सी.एफ.ए. / आईसीडब्ल्यूए / एमबीए (वित्त) / बी.कॉम. / एम.कॉम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	प्रबंधक (सिविल)		सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	प्रबंधक (कृषि)		कृषि में स्नातकोत्तर / कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	प्रबंधक (मार्केटिंग)		एमबीए (मार्केटिंग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।

2	<u>मध्यम प्रबंधन–2</u>		
	<u>उप प्रबंधक</u> (लेखा/आडिट)	प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा, आरबीआई/नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी, अथवा मध्यप्रदेश शासन के द्वितीय श्रेणी अधिकारी जिसे न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो /अर्द्धशासकीय संस्थाओ के अधिकारी, जिन्हें 03 वर्ष का अनुभव हो ।	सी.ए./सी.एफ.ए./आईसीडब्ल्यूए / एमबीए (वित्त)/बी.कॉम./एम.कॉम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	<u>उप प्रबंधक</u> (आई.टी.)		बीई/बीटेक(कम्प्यूटर साइंस/ कम्पयूटर एप्लीकेशन या एमसीए. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
	<u>उप प्रबंधक</u> (कृषि)		कृषि में स्नातकोत्तर/ कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	<u>उप प्रबंधक</u> (विधि)		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय एल.एल.बी. डिग्री ।
	<u>उप प्रबंधक</u> (सिविल)		सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	<u>उप प्रबंधक</u> (इलेक्ट्रिकल)		इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।
	<u>उप प्रबंधक</u> (मार्केटिंग)		एमबीए (मार्केटिंग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल
Website: www.apexbank.in Tel No. 0755-2674712

---------------------------- पद पर प्रतिनियुक्ति_हेतु आवेदन का प्रारूप

आवेदक का फोटो

आवेदन हेतु पद का नाम	
आवेदक का नाम हिन्दी में	
आवेदक का नाम अंग्रेजी में (Capital letter)	
पिता/पति का नाम	
पत्र व्यव्हार का पता	
	पिन कोड नं. मोबाईल नं.
जन्मतिथि	
पैतृक विभाग का नाम एवं पता	
वर्तमान धारित पद का नाम एवं श्रैणी	
सेवा में आने का दिनांक	
सेवानिवृति का दिनांक	
शैक्षणिक योग्यता	

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	किस विद्यालय/ विश्वविद्यालय से	श्रेणी	प्रतिशत
12 वीं					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अन्य					

क्या प्रतिनियुक्ति पद हेतु निर्धारित अर्हता धारण कर रहे है	हां/नहीं
अनुभव	वर्ष..................माह.........................
क्या प्रतिनियुक्ति पद हेतु निर्धारित अनुभव धारण कर रहे है । अनुभव का विस्तृत विवरण लिखें–	हां/नहीं
नियोक्ता का विवरण	

कार्यालय/संस्था का नाम	पद का नाम	कब से	कब तक	वेतनमान	

मूल संस्था में प्राप्त कूल वेतन	रू.
वर्तमान पद पर कार्य करने का पद एवं वेतनमान	

क्या पूर्व मे ंभी किसी अन्य संस्था मे प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे है, पूर्ण विवरण लिखें ।	
अन्य उपलब्धियां	
किस वर्ग से संबंधित है	सामान्य / अजा / अजजा / ओबीसी

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है । जानकारी एवं दस्तावेज गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन / चयन निरस्त किये जाने का अधिकार प्रतिनियुक्त संस्था का होगा ।

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर,

पता...

दिनांक...............................

नियोक्ता का प्रमाण पत्र

श्री.. पिता का नाम.. ....पद...कार्यालय .... दिनांक ....से कार्यरत है ।

आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी कार्यालय के रिकार्ड अनुसार पूर्णत सही एवं सत्य है । इनके आवेदन पर प्रतिनियुक्त पद पर चयन होने की स्थिति में इन्हें प्रतिनियुक्ति पद में उपस्थिति हेतु पदस्थी कार्यालय से तत्काल भारमुक्त किया जावेगा ।

2/— प्रमाणित किया जाता है कि —

1— श्री...के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/पुलिस एवं आपराधिक प्रकरण प्रचलित नहीं है ।

2— इनके विरूद्ध किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता का प्रकरण प्रचलित नहीं है।

3— विगत 5 वर्ष में प्राप्त गोपनीय चरित्रावली की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत है।

4— आवेदक को विगत 10 वर्षों में प्रमुख एवं गौण कदाचार के अन्तर्गत दंडित नहीं किया गया है/दंडित किया गया है, जिसकी जानकारी संलग्न है ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

स्थान,

दिनांक : / /2022

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल
Website: www.apexbank.in Tel No. 0755-2674712

---------------------------- पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

आवेदक का फोटो

कार्यालय उपयोग हेतु

रजिस्ट्रेशन नं.	रजिस्ट्रेशन दिनाक

कृपया आवेदन फार्म को भरने के पूर्व संविदा सेवाओं हेतु योग्यता/नियम/शर्तों का सुक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें.

संविदा हेतु आवेदित पद का नाम	

आवेदक का पूर्ण नाम (हिन्दी में)	

आवेदक का पूर्ण नाम (अंगेजी में)
Shri/Smt/Ku

पिता का नाम (हिन्दी में)	
पिता का नाम (अंग्रेजी में)	

लिंग (पुरूष/महिला)	

वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित/अन्य)	

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी

मध्यप्रदेश के मूलनिवासी	हां/नहीं

जन्मतिथि (अंकों में	
(शब्दों में)	

सेवानिवृति का दिनांक	
सेवानिवृति पर प्राप्त अंतिम वेतन	
सेवानिवृति उपरांत प्राप्त पेंशन राशि	रूपये

पत्र व्यव्हार का पता पिन कोड एवं मोबाईल सहित	
सम्पर्क विवरण	**STD Code**
	Mobile No
	Tel. No
	E-Mail ID

शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	किस विद्यालय/विश्वविद्यालय से	श्रेणी	प्रतिशत
12 वीं					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अन्य					

अनुभव :

पद	संस्था का नाम	कार्य का विवरण	अवधि	वेतन प्रतिमाह

नोटः– आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता/अनुभव/जन्मतिथी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाना आवश्यक होगा ।

–घोषणा पत्र–

मैं स्वंय प्रमाणित कर घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है । मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज किसी भी प्रकार से गलत एवं त्रुटीपूर्ण पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन बगैर किसी सूचना एवं वैधानिक कार्यवाही के निरस्त किये जाने का अधिकार संस्था को होगा । मेरे द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण निम्नवत है ।

संलग्न –

अभ्यर्थी का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर,

पता.......................................

स्थान :

दिनांक..............................

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्या0 मुख्यालय, भोपाल

संविदा नियुक्ति पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु नीति/नियम

(शीर्ष बैक सेवानियम कमांक–72.1)

शीर्ष बैक में स्टाफिंग पेटर्न अनुसार रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार प्रावधानित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्तों की पूर्ति होने पर, संविदा/ प्रतिनियुक्ति पर सेवाऐं शासकीय विभाग/ अर्द्धशासकीय विभाग/राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक/सहकारी बैंक/नाबार्ड/आर.बी.आई. से प्राप्त की जा सकेगी, संबंधी प्रावधान निर्मित किये गये है, जिसके तहत संविदा पर सेवाऐं प्राप्त करने हेतु नीति/नियम निम्नवत होंगे :–

संविदा नियुक्ति के पद –

शीर्ष बैक सेवानियम के स्टाफिंग पेटर्न अनुसार रिक्त पदों पर बैक की आवश्यकतानुसार बैक सेवानियम कमांक 6.1 अनुसूची 5 (I) (II) के अनुसार शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग/राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक/सहकारी बैंक/नाबार्ड/आर.बी.आई. से सेवानिवृत अधिकारियों की सेवाएं संविदा पर नियुक्ति पर प्राप्त की जा सकेंगी ।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति आवेदक को इस पद हेतु आर.बी.आई. की निर्धारित फिट एंड प्रापर काईटेरिया की पूर्ति करने एवं बी.आर एक्ट U/S 35 B(1) (b) अन्तर्गत आर.बी.आई. से पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही नियुक्ति दी जा सकेंगी । इस पद पर नियुक्ति अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन होगी ।

संविदा पर सेवाएं लिये जाने का माध्यम–

1– संविदा पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रमुख राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किये जावेंगे । समाचार पत्रों के माध्यम से संविदा सेवाओं हेतु निम्न शर्ते वांछनीय होंगी :–

1. उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो।
2. उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का पुलिस आपराधिक प्रकरण किसी स्तर पर प्रचलित न हो
3. उक्त आशय का शपथ पत्र उसे अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।
4. नीति/नियम में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति को मान्य किया जाना आवश्यक होगा।

2– शीर्ष बैक के सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवाएं, संविदा पर लिये जाने हेतु बैंक सेवानियम के प्रावधान अनुसार अधिकारी/कर्मचारी की विशिष्ट योग्यता एवं पद हेतु उपयुक्तता के आधार पर बिना विज्ञापन जारी किये शीर्ष बैंक के प्रबंध संचालक द्वारा प्रदत्त अनुमति अनुसार की जावेगी । अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति हेतु निम्न शर्तें होंगी :–

1. विगत 10 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली में कम से कम ''बहुत अच्छा'' अभ्युक्ति होना ।
2. कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण प्रचलित नहीं होना ।
3. विगत 10 वर्षों में दंडित नहीं होना ।

आयु सीमा :–

1– संविदा नियुक्ति हेतु अधिवार्षिकी आयु सीमा सेवानियम में दर्शित अधिवार्षिक आयु सीमा के अनुसार होगी ।

2– सेवानिवृत सेवायुक्तों के प्रकरणों में संविदा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी ।

नियुक्ति के लिये अर्हताएं एवं पात्रता मापदंड–

शीर्ष बैक में संविदा हेतु निर्धारित नीति/नियम के अधीन नियुक्ति की अर्हताएं एवं पात्रता मापदंड वही होंगे जो बैंक सेवानियम में उस पद हेतु विहित है।

सेवानिवृत सेवायुक्तों की संविदा नियुक्ति हेतु अनर्हताएं–

(I) संबंधित सेवायुक्तों की पिछले 10 वर्ष में गोपनीय चरित्रावली अभिलेख समग्र रूप से ''बहुत अच्छा'' श्रेणी या उससे उच्च कोटि का नही होने पर,

(II) संबंधित सेवायुक्त की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी नही रही हो,

(III) सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये जाने पर या उसके विरूद्ध विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर,

(IV) पिछले 10 वर्षों के दौरान संबंधित सेवायुक्त को कोई दंड दिया गया हो,

(V) सेवायुक्त का स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में नही होने पर।

आरक्षण –

संविदा नियुक्ति के पदों पर म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम–निर्देश लागू होंगे, महिला, निः शक्तजन, आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों आदि के आरक्षण के लिये भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे।

संविदा नियुक्ति की अवधि :–

(I) संविदा नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिये होगी, परंतु आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को अधिकतम 02 वर्ष के लिये बढाया जा सकेगा।

(II) संविदा नियुक्ति की अवधि कुल 03 वर्ष की पूर्ण होने पर विशेष परिस्थिति में प्रशासक की अनुमति से 2 वर्ष और बढाया जा सकेंगा।

(III) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। परंतु संविदाकर्मी के विरूद्ध उसके संविदा कार्यकाल में किसी प्रकार की प्रशासनिक अनियमितता के कारण बैंक को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति अथवा ऐसी किसी प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही पूर्ण होने पर ही एक माह की नियुक्ति समाप्ति की पूर्व सूचना मान्य होगी ।

संविदा वेतन एवं अन्य सुविधाएं–

(I) संविदा पर शासन से सेवानिवृत सेवायुक्त को सेवानिवृति के समय प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से, उसे प्राप्त हो रही पेंशन की राशि घटाने के उपरांत, शेष रही राशि, संविदा वेतन के रूप में देय होगी ।

(II) बैक/अर्द्वशासकीय संस्थान से सेवानिवृत सेवायुक्तों के संबंध में सेवानिवृति के समय देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते की सम्मिलित राशि की 50 प्रतिशत राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।

अवकाश

संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त को प्रति वर्ष 15 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं –

(I) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, जिस पद हेतु नियुक्त किया गया है, उस पद के लिये निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

(II) शीर्ष बैक के सेवानिवृत सेवायुक्त की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे शीर्ष बैंक के संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे।

सुरक्षा निधि :–

1–संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को शीर्ष बैंक के पक्ष में To the extent of the loss to Bank इडेमिंनिटी बान्ड निष्पादित करते हुए न्यूनतम सुरक्षा निधि के रूप में राशि रूपये 20.00 लाख की एफ.डी. शीर्ष बैक के पक्ष में लीन मार्क कर शीर्ष बैक की अभिरक्षा में रखना होगी, जिसे संविदा नियुक्ति पूर्ण होने के 6 माह उपरांत बैक को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न होने की स्थिति में पदस्थी स्थान से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर लीन समाप्त कर सावधि जमा रसीद रिलीज की जावेगी ।

2–शीर्ष बैंक के सेवानिवृत सेवायुक्त को शीर्ष बैंक के पक्ष में To the extent of the loss to Bank इडेमिंनिटी बान्ड निष्पादित करते हुए, न्यूनतम सुरक्षा निधि के रूप में राशि रूपये 20.00 लाख की एफ.डी. शीर्ष बैक के पक्ष में लीन मार्क कर शीर्ष बैक की अभिरक्षा में रखना होगी, संविदा के पद से निवृति होने के 6 माह के पश्चात संबंधित बैक से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात लीन समाप्त कर सावधि जमा रसीद रिलीज की जावेगी ।

दायित्व/प्रभार :–

संविदा कर्मचारी को संविदा पद से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना होगा तथा उस पद से संबंधित दायित्वों हेतु वह उत्तरदायी होगा । संविदा अधिकारी/कर्मचारी को बैक द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार उसकी पदस्थी एवं कार्यदायित्व उसके संविदा पद के अनुरूप सौपे जावेगे । संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के वित्तीय निर्णय एवं किए गए व्यवहार बैक के संविदा सेवायुक्त के पद से उच्च स्तर के शीर्ष बैक अधिकारी/शासन/बैक से प्रतिनियुक्त अधिकारी से पुष्टि कराने के उपरांत ही मान्य होंगे ।

संविदा नियुक्त सेवायुक्त की पदस्थी अवधि के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता अथवा उनके कार्य संपादन के कारण से बैक/शाखा को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल उनकी संविदा नियुक्ति समाप्त किये जाने का अधिकार शीर्ष बैक को होगा एवं ऐसी हानि की राशि की वसूली संबंधित संविदायुक्त से किये जाने की कार्यवाही शीर्ष बैंक द्वारा की जावेगी ।

पदस्थी :–

संविदा नियुक्ति के दौरान शीर्ष बैंक की आवश्यकता के अनुरूप समकक्ष पद पर पदस्थ/स्थानान्तरित किया जा सकेगा । सेवायुक्त को संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य समकक्ष पद का दायित्व सौंपा जा सकेगा जिसे स्वीकार करना बाध्यकारी होगा ।

अन्य शर्तें –

(I) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, शीर्ष बैंक के सेवायुक्तों के लिये समकक्ष पदों पर लागू सेवानियम से शासित होंगे।

(II) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी।

(III) संविदा नियुक्त सेवायुक्त का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

(IV) संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त को संविदा नियुक्ति के दौरान अन्य शाखा में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके लिये बाध्यकारी होगा।

(V) सेवानिवृत सेवायुक्तों के अतिरिक्त संविदा पर नियुक्त अन्य सेवायुक्तों को नियमानुसार पीपीएफ में निर्धारित राशि जमा करनी होगी।

(VI) सेवानिवृत सेवायुक्त को संविदा नियुक्त पद सभी तरह के कार्य करने की पात्रता होगी, परंतु इनके द्वारा सम्पादित कार्य की पुष्टि नियमित सेवायुक्तों के द्वारा ही की जावेगी।

(VII) संविदा नियक्ति पूर्णतः संविदा बैक के अस्थाई आधार पर होगी । भविष्य में इस पद पर नियमित किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।

अनुशासनात्मक कार्यवाही–

संविदा नियुक्त अधिकारी को कार्यो में चूक किये जाने पर अथवा बैक को हानि होने की स्थिति में उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु बैक के प्रभारी प्रबंध संचालक सक्षम अधिकारी होगें ।

चयन प्रक्रिया–

संविदा नियुक्ति के लिये शीर्ष बैंक की चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबंध संचालक कार्यवाही करने हेतु सक्षम होंगे।

———

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्या0 मुख्यालय, भोपाल

प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु नीति/नियम

शीर्ष बैक में स्टाफिंग पेटर्न अनुसार रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार प्रावधानित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्तों की पूर्ति होने पर, प्रतिनियुक्ति पर सेवाऐं शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग/राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक/सहकारी बैंक/नाबार्ड/आर.बी.आई. से प्राप्त की जा सकेगी, संबंधी प्रावधान निर्मित किये गये है, जिसके तहत प्रतिनियुक्ति पर सेवाऐं प्राप्त करने हेतु नीति/नियम निम्नवत होंगे :–

प्रतिनियुक्ति पद –

शीर्ष बैक सेवानियम के स्टाफिंग पेटर्न अनुसार सीधी भर्ती से इतर भरे जाने वाले पदों पर बैक की प्रतिपादित आवश्यकतानुसार बैक सेवानियम क्रमांक क्रमांक 6.1 अनुसूची 5 (I) (II) के अनुसार शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग/राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक/सहकारी बैंक/ नाबार्ड/आर.बी.आई. से अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की जा सकेगी ।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति आवेदक को इस पद हेतु आर.बी.आई. की निर्धारित फिट एंड प्रापर क्राईटएरिया की पूर्ति करने एवं आरबीआई एक्ट U/S 35 B(1) (b) अन्तर्गत आर.बी.आई. से पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही नियुक्ति दी जा सकेंगी । इस पद पर नियुक्ति अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन ही प्रदान की जा सकेंगी ।

प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिये जाने का माध्यम–

प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जावेंगे।

प्रतिनियुक्ति के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय सीधे बैंक की सक्षम कमेटी द्वारा लिया जावेगा ।

कार्यकाल–

अ– प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में 2 वर्ष बढाई जा सकती है । 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर किसी भी परिस्थिति में प्रतिनियुक्ति अवधि बढाई नहीं जावेगी ।

ब– प्रतिनियुक्ति सेवाओं हेतु आवेदन मूल विभाग के माध्यम से अनापत्ति सहित प्राप्त होने पर ही विचार योग्य होगा ।

स– प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष कम से कम तीन माह की नोटिस के बगैर प्रतिनियुक्ति अधिकारी को वापस नहीं बुला सकता है ।

वेतन भत्ता :–

प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिये/दिये जाने वाले सेवायुक्त को वेतन एवं भत्तों का भुगतान मूल संस्था में प्राप्त हो रहे वेतन भत्तों के अनुरूप एवं मूल संस्था के प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं प्रतिनियुक्ति की सेवाशर्तो के अनुरूप प्रदान किया जावेगा ।

बैंक प्रवास से यात्रा करने की स्थिति में प्रतिनियुक्त पद के अनुरूप बैक सेवानियम अनुसार प्रवास यात्रा भत्ता देय होगा ।

अवकाश :–

प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अर्जित/चिकित्सा अवकाश मूल संस्था के अनुरूप देय होंगे । आकस्मिक एवं अन्य अवकाश का लाभ उसे प्रतिनियुक्त संस्था के नियमों के अनुसार प्रदान किया जावेगा ।

दायित्व/प्रभार :–

प्रतिनियुक्त कर्मचारी को प्रतिनियुक्त पद से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना होगा तथा वह प्रतिनियुक्त पद से संबंधित दायित्वों हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगा । प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को बैक द्वारा कार्य आवश्यकतानुसार उसकी पदस्थी एवं कार्यदायित्व उसके प्रतिनियुक्त पद के अनुरूप सौपे जावेगे ।

अनुशासनात्मक कार्यवाही–

प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यो में चूक पाये जाने पर अथवा बैक को हानि होने की स्थिति में उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु बैक के प्रबंध संचालक सक्षम अधिकारी होंगे ।

चयन प्रकिया–

प्रतिनियुक्ति पर सेवाऐं प्राप्त के लिये शीर्ष बैंक की चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबंध संचालक कार्यवाही करने हेतु सक्षम होंगे।

शीर्ष बैक से अन्य सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति –

शीर्ष बैक से अन्य सहकारी संस्था में प्रतिनियुक्ति हेतु, प्रतिनियुक्त किये जाने वाली संस्था की सहमति एवं संचालक मंडल का निर्णय प्राप्त होने पर, शीर्ष बैक के संचालक मंडल/प्रशासक की बैठक के निर्णयानुसार सेवायुक्त की सेवाऐं किसी अन्य सहकारी संस्था में प्रतिनियुक्ति पर सौपी जा सकेगी ।

प्रतिनियुक्त सेवायुक्त के समस्त वेतन एवं भत्तों का भुगतान संबंधित प्रतिनियुक्त संस्था द्वारा किया जावेगा । प्रतिनियुक्त सेवायुक्त की प्रतिनियुक्ति सेवाऐं आवश्यकतानुसार किसी भी समय वापस ली जा सकेंगी । इस हेत सक्षम अधिकारी प्रबंध संचालक होगें ।

<u>अन्य सहकारी संस्थाओं से शीर्ष बैक में प्रतिनियुक्ति–</u>

अन्य सहकारी संस्थाओं से शीर्ष बैक में प्रतिनियुक्ति हेतु, प्रतिनियुक्त किये जाने वाली संस्था की सहमति एवं संचालक मंडल के निर्णय प्राप्त होने पर, शीर्ष बैक संचालक मंडल/प्रशासक की बैठक के निर्णयानुसार सेवायुक्त की सेवाऐं शीर्ष बैक में प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की जा सकेगी ।

प्रतिनियुक्त सेवायुक्त के वेतन एवं भत्तों का भुगतान संबंधित संस्था से प्राप्त प्रतिनियुक्ति की सेवाशर्तों के अनुसार किया जावेगा । प्रतिनियुक्त सेवायुक्त की प्रतिनियुक्ति सेवाऐं आवश्यकतानुसार किसी भी समय वापस ली जा सकेंगी । इस हेत सक्षम अधिकारी प्रबंध संचालक होगें ।

———